सत्यप्रतिलिपि दि०
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन सोनल (आर.ए.एस.) दर्ज दिनांक–01.09.2021

नम्बर 50/2021
एस नं. 2021/00394

1. अर्जुनलाल पुत्र मूंगाराम
2. भींवाराम पुत्र मूंगाराम
3. बीदामी पत्नी मूंगाराम
जाति माली निवासी ढाणी काना का वाली तन ढाणियां नवलगढ़

– प्रार्थी

बनाम

–अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये –तहसीलदार नवलगढ़

कील वादी : – श्री विप्लव पण्डित, तेजपाल सिह
कील प्रति॰ :– एक पक्षीय

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 29.09.2021

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम ढाणी कानाका वाली पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ़ की सरहद मे नई खाता सं. 112 पुराना 79 की भूमि खसरा नं. 744/640 रकबा 0.0900 है0 स्थित है जिसके प्रार्थीगण रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है। जिसके अनुसार पत्थरगड्डी करवाना चाहते है। फर्द मौका जॉच रिर्पोट बाबत् सीमाज्ञान प्रा0 पत्र के साथ है। अतः उक्त भूमि की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 2/5/2021 के अनुसार पत्थरगड्डी करवाई जावे।

प्रा0 पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक द्वारा बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने कि दशा मे एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील आवेदक द्वारा बहस पेश करने पर बगौर सुनी गई।

वकील वादी द्वारा दौराने बहस अपने प्रा0 पत्र मे अंकित कथनों को दोहराया तथा फर्द सीमाज्ञान दिनांक 2/5/2021 का अवलोकन करवाया गया।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार आवेदक उक्त प्रासांगिक भूमि मे खातेदार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः आवेदकगण का प्रा0 पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

: आदेश :

प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम ढाणी कानाका वाली पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ़ की सरहद मे नई खाता सं. 112 पुराना 79 की भूमि खसरा नं. 744/640 रकबा 0.0900 है0 की सीमाओं पर मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांक 2/5/2021 के अनुसार,नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा करवाये जाकर पत्थरगड्डी करवाये जाने बाबत् तहसीलदार नवलगढ़ का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29/9/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुन्झुनू

Scanned with CamScanner